प्रकरण संख्या–19/2015 तारीख रजु–18.06.2015

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

गोपाल पुत्र हजारी उम्र 50 साल जाति माली निवासी गढ़ी का गांव तहसील मण्डरायल जिला करौली राज. – अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार मण्डरायल, तहसील मण्डरायल जिला करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 11–06–2015 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गोपाल मु.नं. 03/2015 जिसकी रूह से अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल. आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक–21.03.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 11.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूयेदाद मिसल है। निर्णय दिनांक 11.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय पूर्णतया आरविट्रेरी है। परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का आराजी खसरा नंबर 778 रकवा 01 विस्वा ग्राम गढ़ी का गांव पर कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट का ख.नं. 778/2 आबादी भूमि पर कब्जा पिता हजारी के समय से है। ख.नं. 778/2 रकबा 5 बीघा आबादी भूमि ग्राम गढ़ी का गांव है जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अवैध व गलत एवं क्षेत्राधिकार विहीन रिपोर्ट पर कार्यवाही धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत चलाने एवं अपीलाण्ट के आबादी भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने व अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी से दण्डित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय दिनांक 11.06.15 विधि विरूद्ध होने से क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् दिनांक 11.06.15 को अधीनस्थ न्यायालय में जबाव धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस का प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाण्ट ने अपना कब्जा ख.नं. 778/2 आबादी भूमि में होना बताया गया है जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर व पटवारी हल्का से साक्ष्य में जिरह करने का कोई अवसर नहीं देकर एवं ख.नं. 778/2 की पैमाईश अपीलाण्ट की उपस्थिति में नहीं कराकर विधि विरूद्ध रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः पूर्ण सुनवाई को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 11.06.15 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डरायल का है। इसलिये अदालत

जिला कलक्टर
करौली

श्रीमान को अपील सुनवाई का हक हासिल है। अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय दिनांक 11.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफे कानून रूयेदाद मिसल एवं पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का आराजी खसरा नंबर 778 रकवा 01 विस्वा ग्राम गढ़ी का गांव पर कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं है। अपीलाण्ट का ख.नं. 778/2 आबादी भूमि पर कब्जा पिता हजारी के समय से है। ख.नं. 778/2 रकबा 5 बीघा आबादी भूमि ग्राम गढ़ी का गांव है जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अवैध व गलत एवं क्षेत्राधिकार विहीन रिपोर्ट पर कार्यवाही धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत चलाने एवं अपीलाण्ट के आबादी भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने व अपीलाण्ट को 3 माह के सिविल कारावास एवं पैनल्टी से दण्डित करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय दिनांक 11.06.15 विधि विरूद्ध होने से क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् दिनांक 11.06.15 को अधीनस्थ न्यायालय में जबाव धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस का प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाण्ट ने अपना कब्जा ख.नं. 778/2 आबादी भूमि में होना बताया गया है जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित अवसर व पटवारी हल्का से साक्ष्य में जिरह करने का कोई अवसर नहीं देकर एवं ख.नं. 778/2 की पैमाईश अपीलाण्ट की उपस्थिति में नहीं कराकर विधि विरूद्ध रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जैर अपील निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि तहसीलदार मण्डरायल ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.15 में सरकारी चरनोट भूमि खसरा नं. 778 रकबा 01 विस्वा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा काश्त करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा करने तथा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की पुष्टि होने पर अतिक्रमी गोपाल पुत्र हजारी माली के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली करने तथा 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से एवं 50 गुणा पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है जो सही व नियमानुसार है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या–19 / 2015

तारीख रजु–18.06.2015

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। तहसीलदार मण्डरायल से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मण्डरायल ने पत्रांक 50 दिनांक 08.02.2018 से अवगत कराया है कि अपीलाण्ट द्वारा खसरा नं. 778 रकबा 01 विस्वा चरनोट भूमि ग्राम गढ़ी का गांव पर किये अतिक्रमण को हटा लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2015 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली